


(राज. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवाना सिवा खण्ड  
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मंजल की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता 154 संख्या 154/16 मेरा/हमारे नाम बीजाराम पुत्र राजूराम हिन्दू के रूप में दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम बीजाराम पुत्र राजूराम हिन्दू के नाम कलवी सानिदेखानदार है।  
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।  
दिनांक :- 09/10/2025



हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्राची के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वीएर कार्ड उस पत्रावेनी में नाम बीजाराम पुत्र राजूराम जाति कलवी सा डेह एवं राजस्व रिपोर्ट में बीजाराम के ही क्रम शुद्ध नाम बीजाराम पुत्र राजूराम के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

*(Signature)*

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

Gcms- 2025/638

आदेश

तहसीलदार समदडी

तहसीलदार समदडी

दिनांक 10/10/2025

क्रमांक / 1649 /

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम मंजल की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 154 मे बीजाराम पुत्र राजूराम

बीजाराम पुत्र राजूराम

करने की स्वीकृति प्रदान

की जाती है तदनुसार खातों में अपल दरामद की कार्यवाही की जावे ।



सिवाना सिवा खण्ड  
सिवाना, राजस्थान